**Rimjhim Tirkey**

**Course 8 b : Knowledge and curriculum**

**Unit 1**

**सार्वभौमिकता और शिक्षा** - रविंद्र नाथ टैगोर एक महान बह्मावादी थे। उनकी शिक्षा आत्म ज्ञान पर आधारित शिक्षण की वास्तविकता प्राप्त करने के लिए उन्होंने बालकों के सर्वागीण विकास पर बल दिया जिससे बालों को में प्रेम और भाईचारे की प्रति देश में लगाव उत्पन्नन हो सके उन्होंने बालकों के शारीरिक मानसिक सामाजिक नैतिक गुणों के विकास की भी चर्चा की है। कृष्णमूर्ति के विचारों के अनुसार शिक्षा बालक में नवचेतना और उद्यमिता का विकास करता है उन्होंने बालकों के सीखने की कला पर जोर दिया और कहा कि बालक में रुचि उत्पन्न होना चाहिए जिससे बालक के सीखने की क्रिया सरलता से हो सके उन्होंने बालक के शारीरिक मानसिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूल्यों के विकास पर बल देते हुए कहा कि बालक का सर्वागीण विकास के लिए इन पदों पर विकास होना आवश्यक है।

**धर्मनिरपेक्षता वाद और शिक्षा**–-- धर्म निरपेक्षता का अर्थ धर्म विहीन होना नहीं बल्कि सभी धर्मों के वैज्ञानिक एवं तार्किक पक्ष को महत्व देते हुए उसके प्रति समान आदर व्यक्त करना है भारत के संविधान में भी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार किया है और इसे और स्पष्ट करते हुए प्रोफ़ेसर जी एस शर्मा ने लिखा है कि धर्मनिरपेक्षता पाश्चात्य विश्व की देन है पाश्चात्य विश्व के संपर्क में आकर भारतवासी इस धारणा के प्रति आकृष्ट हुए इनका  यह विश्वास था कि धर्मनिरपेक्षता द्वारा धार्मिक गुट बंदियों को समाप्त करके देश को स्वतंत्रता संग्राम के लिए शक्तिशाली बनाया जा सकता है अतः इस नीति की प्रमुख विशेषताओं को दामले ने इस प्रकार व्यक्त किया है पहला वैज्ञानिक प्रवृत्ति दूसरा विधि का शासन तीसरा नैतिकता की प्राप्ति चौथा ज्ञान एवं विवेकशील का पांचवा सर्व अमिता एवं जाति रक्त संबंध प्रदेश धर्म आदि से संबंधित विशिष्ट लगाओ से मुक्ति अतः हम यह कह सकते हैं कि उपयुक्त विवेचना के आधार पर समाज में 2 तरीके के समाज का विकास हुआ है।

पहला जो स्थायी, परंपरागत, धर्म प्रधान जाति प्रधान तथा संयुक्त परिवार केंद्रित है जबकि दूसरा पाश्चात्य कृत नवीन समाज वास्तव में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा भारतीय संविधान में प्रयोग पदावली विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता स्वतंत्रता में पहले से ही अंतर्निहित है  42वे संशोधन के द्वारा इसे और स्पष्ट किया गया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से हमारा तात्पर्य वैसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है तथा उसे समान संरक्षण प्रदान करता है। भारत धर्मनिरपेक्ष समाज की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं ।1).राज्य किसी धर्म विशेष को आश्रय संरक्षण प्रदान नहीं करता । 2). राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टि रखते हुए उनके मानने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 3). राज्य प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार देता है ।4). राज्य धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है । 5.) राज्य धार्मिक संस्थाओं एवं ने न्यासों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 6). राजकोषो से पोषित एवं राज्य से अनुदान प्राप्त संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जाती। अतः हम यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में भारतीय समाज को पूर्णरूपेण  धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।